




ROHIT ANAND  
Advocate, Jamsheddpur  
20/06/24  
Please sign before me

# Government of Jharkhand

## Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL



Receipt Number : 1e1efecb055ee9d00718

Receipt Date : 20-Jun-2024 12:12:40 pm

Receipt Amount : 50/-

Amount In Words : Fifty Rupees Only

Document Type : Affidavit

District Name : EastSinghbhum

Stamp Duty Paid By : ROHIT ANAND

Purpose of stamp duty paid : AFFIDAVIT

First Party Name : ROHIT ANAND

Second Party Name : NA

GRN Number : 2402641994

REGN. No. 4069  
SL. No. 09  
DATE 20/06/24

:- This stamp paper can be verified in the [jharnibandhan](#) site through receipt number :-



This Receipt is to be used as proof of payment of stamp duty only for one document. The use of the same receipt as proof of payment of stamp duty in another document through reprint, photo copy or other means is penal offence under section-62 of Indian Stamp Act, 1899

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।



# AFFIDAVIT

I, Rohit Anand, Resident of Q.No-M30, Old Housing Colony, Adityapur, Jamshedpur, Jharkhand do hereby solemnly affirm and declare as follows:-

1. We have been allotted the land on which we have applied for building sanction, Industrial Plot no.- E-17; Khata no.- 81; Mouza- Hatiyadih; Thana - Seraikela; District - Seraikela-Kharsawan.
2. We have submitted the map to be sanction on whose file no:- JIADA/BP/0025/2023 in Jharkhand Industrial Area Development Authority (JIADA).
3. We would request for the sanction of our map for building construction, so that we can proceed for our construction after taking sanction lawfully. The construction will be done by us, So we undertake the full responsibility.
4. We will demolish old structure prior to construction of proposed building plan.

That We Swear this Affidavit to produce in the Jharkhand Industrial Area Development Authority (JIADA), hence this affidavit.

Identified by :-

Sri B.Nandi,

Advocate

Rohit Anand

Deponent


is known to me and signed in my presence.

Notary Public, JSR.

Lobby

Dinesh Narayan Singh

**NOTARY**  
District Court  
JAMSHEDPUR



B. Nandi  
20/06/24

Advocate,

# अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-31.05.2024

सेवा में,

**Rohit Anand,**

Rosa Technology Private Limited,

M-30, OLD Adityapur Hosuing Colony, Jamshedpur, Jharkhand.

**विषय:-** मौजा-Hatyadih, प्लॉट नं0-E-17, खाता नं0-81, वार्ड नं0-1, थाना नं0-60, जिला-सरायकेला-खरसावाँ में निर्मित फ़ैक्ट्री भवन हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित निर्मित फ़ैक्ट्री भवन के स्थल की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, आदित्यपुर के माध्यम से निर्मित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-248 दिनांक-31.05.2024 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में उक्त निर्मित फ़ैक्ट्री हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. निर्मित फ़ैक्ट्री भवन के सामने वाले भाग में कम से कम 50,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण अग्निशमन कार्य हेतु कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन किये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. फ़ैक्ट्री के चारो तरफ 150MM डायामेटर वाला एक रिंग मेन्स का निर्माण कराया जायेगा, जिसमें प्रत्येक 30-30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक-एक हाईड्रैण्ट का संस्थापन कराया जाय। प्रत्येक हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा एक अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
4. अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2250 Lpm क्षमता वाले फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
5. समान क्षमता का डीजल चालित पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
6. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
7. फ़ैक्ट्री भवन के Office को स्मोक डिटेक्शन एवं अलार्म सिस्टम से सुरक्षित किया जाय।
8. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से कराया जाय।
9. भवन में प्रति 400 वर्गमीटर के लिये कम से कम 06 Kg क्षमता वाले एक-एक अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
10. मेन इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय। इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड के पास फर्श पर कम से कम 30 MM मोटा रबड़ मैट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
11. भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
12. सतही तल पर मुख्य प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार के पास थ्रीवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
13. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 4.5 के0जी0 क्षमता के 04-04 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 04-04 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
14. फ़ैक्ट्री भवन में Manually Operated Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे भण्डारण परिसर में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।

15. फ़ैक्ट्री भवन परिसर में एक फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
- |                                |   |         |
|--------------------------------|---|---------|
| i. DCP Fire Extinguisher 06 kg | - | 06 Nos. |
| ii. Fire Bucket                | - | 06 Nos. |
| iii. Form Extinguisher 09 Ltr  | - | 06 Nos. |
| iv. Fire Bitter                | - | 08 Nos. |
16. वैस्ट मैटेरियल के प्रतिदिन डिस्पोजल हेतु समुचित व्यवस्था की जाय।
17. फ़ैक्ट्री भवन के रद्दी एवं कार्बनिक पदार्थों का नियमित रूप से फेकने का प्रबन्ध रखा जाय।
18. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय।
19. फ़ैक्ट्री भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
20. फ़ैक्ट्री भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
21. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
22. फ़ैक्ट्री भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि **Plan** अथवा **Nature Of Occupancy** में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके **Clearance** अवश्य प्राप्त करेंगे।
23. संबंधित फ़ैक्ट्री भवन में कभी भी किसी भी प्रकार का विवादित मामला होने पर संबंधित फ़ैक्ट्री भवन को दिये गये अग्नि-सुरक्षात्मक को जाँचोपरान्त कभी भी रद्द किया जा सकता है।
24. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.9 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

**JITENDRA TIWARY**

Digitally signed by JITENDRA TIWARY  
DN: c=IN, o=PERSONAL, title=9053,  
2.5.4.20=894e76e7a55211af8cedc5c01fc9008f3f4b20579f87b90a96d6b7a5  
458ea0b0, postalCode=834004, st=JHARKHAND,  
serialNumber=c2ef3f40d8c08af2be3efeb12fbb7360caeb368d01281729c  
3d8961d7e6d816, cn=JITENDRA TIWARY  
Date: 2024.05.31 18:47:30 +05'30'

(जितेन्द्र तिवारी)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।